भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या **2482**

जिसका उत्तर मंगलवार, 9 मार्च, 2021/18 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की कमी

2482. श्री बी.एन. बचे गौडा:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खरीफ और रबी मौसम 2020 के दौरान उर्वरकों की कोई कमी रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान उर्वरकों की कमी के संबंध में प्राप्त सूचना का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान आयात किए जा रहे उर्वरकों की मात्रा कितनी है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान देश में उत्पादित किए जा रहे उर्वरकों की मात्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) देश में उर्वरकों की कमी की पूर्ति के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री

(डी.वी. सदानंद गौड़ा)

(क): जी नहीं। खरीफ'-20 और रबी-2020-21 मौसम के दौरान उर्वरकों की कोई कमी नहीं रही है।

(ख): उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग): 2020-21 (फरवरी'-21 तक) की अवधि के दौरान आयातित उर्वरकों की मात्रा निम्नानुसार है:-

वर्ष 2020-21 के दौरान (फरवरी'21 तक) मौसम-वार आयात				
				<आंकड़े लाख मी.टन में>
	यूरिया	**डीएपी**	**एमओपी**	**एनपीके**
खरीफ 2020	45.38	36.40	23.74	7.87
रबी 2020-21 (फरवरी'21 तक)	52.90	11.40	16.96	5.12
कुल	**98.28**	**47.80**	**40.70**	**12.99**

(घ): इस विभाग में उपलब्ध ब्यौरे के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 (जनवरी, 2021 तक) के लिए स्वदेशी उत्पादन (मौसम-वार) का ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है:-

(लाख मी.टन में)

वर्ष	उत्पाद का नाम	खरीफ	रबी	कुल
2020-21 (जनवरी, 2021 तक)	यूरिया	123.92	85.92	209.84
	डीएपी	19.17	14.43	33.60
	मिश्रित	43.40	35.65	79.05
स्रोत: rfmanicin				

(ड.): देश में यूरिया/उर्वरक की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये जाते हैं:-

i. प्रत्येक फसली मौसम के प्रारंभ होने से पूर्व कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएण्डएफडब्ल्यू) सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन करता है। आवश्यकता के आकलन के पश्चात डीएसीएण्डएफडब्ल्यू उर्वरकों की माह-वार आवश्यकता का अनुमान लगाता है।

ii. डीएसीएंडएफडब्ल्यू द्वारा दिए गए माह-वार और राज्य-वार अनुमान के आधार पर उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को उर्वरकों की यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

iii. देशभर में राजसहायता प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जा रही है।

iv. राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे रेलवे रेकों के लिए समय पर मांग पत्र प्रस्तुत करके आपूर्तियों को सरल बनाने के लिए उर्वरकों के विनिर्माताओं और आयातकों के साथ समन्वय करें।

v. कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग (डीओएफ) द्वारा राज्य कृषि पदाधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और उर्वरकों के प्रेषण के लिए राज्य सरकारों द्वारा यथा इंगित सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

vi. मांग (आवश्यकता) और उत्पादन के बीच के अंतर को समय पर आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। पीएण्डके उर्वरकों के मामले में, आयात मुक्त एवं सामान्य लाइसेंस के तहत आते हैं और उर्वरक कंपनियां अपने वाणिज्यिक निर्णयों के आधार पर इन उर्वरकों का आयात करती हैं।

****